

## सर्वोच्च न्यायालय ने EVM और VVPAT प्रणाली को बरकरार रखा

### प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक वोटगि मशीन (EVM), वोटर वेरफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT), आम चुनाव, संसद, राज्य वधानमंडल, पंचायतों, नगर पालिकाएँ, भारत इलेक्ट्रॉनिकस लिमिटेड (BEL), इलेक्ट्रॉनिकस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC), EVM प्रबंधन प्रणाली, नरिवाचन आयोग ।

### मेन्स के लयः

भारत में चुनाव सुधार, चुनावों में पारदर्शता ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने एक जनहति याचिका को खारजि कर दिया, जसिमें [इलेक्ट्रॉनिक वोटगि मशीन \(EVM\)](#) और [वोटर वेरफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल \(VVPAT\)](#) के स्थान पर [मतपत्रों](#) को पुनः लागू करने की मांग की गई थी ।


- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **EVM** पर प्रायः **चुनावी हार** के मद्देनजर ही **सवाल उठाए** जाते हैं, जसिसे उनके तंत्र और सुरक्षा उपायों पर वशिवास दोहराया जाता है ।

## EVM को लेकर ववाद क्या है?

- **ववाद:** कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले, वशिषकर **हारने के बाद, EVM से हेरफेर का दावा** किया है, जसिसे उनकी **वशि्वसनीयता** पर संदेह पैदा हो गया है ।
  - वर्ष 2009 के **आम चुनाव** में हारने वाली पार्टी ने **EVM की वशि्वसनीयता** पर चलिता जताई थी ।
  - वर्ष 2019 के **लोकसभा चुनाव** में मतदान समाप्त होने के बाद **वपिकषी दलों** ने फरि से **EVM की वशि्वसनीयता** का मुद्दा उठाया है ।
  - वर्ष 2020 में **पाँच राज्यों** में वधानसभा चुनावों के बाद यह ववाद **फरि से उभर आया** ।
- **नरिवाचन आयोग का जवाब:** नरिवाचन आयोग ने तकनीकी वशिषज्जों के अध्थयन का हवाला देते हुए लगातार EVM की वशि्वसनीयता का बचाव किया है और कहा है कि मशीनों को **हैक या हेरफेर नहीं किया जा सकता** है ।
- **सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **EVM में हेरफेर को रोकने** के लयि कई **तकनीकी सुरक्षा उपाय** और **कड़ी जाँच** के साथ **प्रशासनिक प्रोटोकॉल** लागू कयि गए हैं तथा **मतपत्रों की वापसी** की याचिका को अनुचलि मानते हुए खारजि कर दिया ।

## EVM और VVPAT क्या हैं?

- **EVM के बारे में:** EVM **संसद, राज्य वधानमंडल** और **पंचायतों एवं नगर पालिकाओं** जैसे स्थानीय नकियों के **चुनाव कराने** के उद्देश्य से **पोर्टेबल उपकरण** हैं ।
  - यह एक **माइक्रोकंट्रोलर-आधारलि उपकरण** है और इसे **एकल पोस्ट और एकल वोट** के लयि डज़ाइन किया गया है ।
- **EVM के घटक:** एक EVM को दो **इकाइयों** यानी **कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट** के साथ डज़ाइन किया गया है । ये इकाइयाँ एक **केबल** द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं । यह सुनशिचलि करता है कि मतदान अधिकारी **आपकी पहचान सतयापलि** करे ।
  - **नयित्रण इकाई:** EVM की नयित्रण इकाई **पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी** के पास रखी जाती है ।
  - **मतपत्र इकाई:** मतपत्र **इकाई मतदाताओं** द्वारा वोट डालने के लयि मतदान ककष के भीतर रखी जाती है ।




## भारत में EVM का विकास:

वर्ष	आयोजन
1977	EVM की संकल्पना पर विचार किया गया।
1979	प्रोटोटाइप ECIL, हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया।
1980	अनुच्छेद 324 के तहत जारी निर्देशानुसार अगस्त में निर्वाचन आयोग द्वारा EVM प्रमाणित की गई।
1982	केरल के पुरुर उप-चुनाव में EVM का इस्तेमाल; वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
1988	ECI को EVM के उपयोग के अधिकार को प्रदान करने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 61A) में संशोधन किया गया।
1990	दनिश गोस्वामी समिति ने EVM को तकनीकी रूप से सुदृढ़ और सुरक्षित बताया।
1998	16 विधानसभा चुनावों में EVM का प्रयोग किया गया।
1999-2000	46 संसदीय सीटों (1999) और हरियाणा विधानसभा चुनावों (2000) में वसतिार रूप से इसका उपयोग किया गया।
2001	तमलिनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इसका उपयोग पूर्ण किया गया।
2004	लोकसभा चुनावों में देश भर में EVM का प्रयोग किया गया।
2013	VVPAT को चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था; इसका उपयोग पहली बार नगालैंड उप-चुनाव में किया गया।
2019	पहला लोकसभा चुनाव जो पूर्णतः VVPAT द्वारा समर्थित था।

- VVPAT के बारे में: VVPAT मतदाताओं को यह पुष्टि करने में सक्षम बनाता है कि उनके मत अपेक्षित रूप से दर्ज किये गए हैं।
  - मतदान के समय एक पर्ची मुद्रित होती है जिस पर क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न अंकित होता है।
  - यह 7 सेकंड तक दिखाई देती है, इसके बाद मुद्रित पर्ची अपने आप कटकर VVPAT के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

# How do VVPAT machines work?

When a voter presses a button in the EVM, a paper slip is printed through the VVPAT



## EVM की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने से संबंधित सुरक्षा उपाय क्या हैं?

### ■ तकनीकी सुरक्षा:

- कार्यक्षमता: EVM में एक कंट्रोल यूनिट (CU), बैलट यूनिट (BU) और VVPAT शामिल होते हैं।
  - VVPAT उम्मीदवार के नाम, चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या के साथ एक पर्ची मुद्रित करके दृश्य सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है।
- माइक्रोकंट्रोलर: माइक्रोकंट्रोलर वन-टाइम प्रोग्रामेबल (OTP) होते हैं तथा निर्माण के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
  - माइक्रोकंट्रोलर तक पहुँचने का कोई भी भौतिक प्रयास मशीन को स्थायी रूप से नष्क्रिय कर देता है।
- वनिर्माण: केवल [भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड \(BEL\)](#) और [इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड \(ईसीआईएल\)](#) जैसे विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण (PSUs) के द्वारा ही EVM का वनिर्माण किया जाता है।
- सर्टिफाइड अलोन ऑपरेशन: EVM बना वायरड या वायरलेस कनेक्टिविटी के संचालित होते हैं, जिससे हस्तकौशल का जोखिम समाप्त हो जाता है।
- उन्नत M3 EVM (2013 के बाद): इसमें किसी भी तरह के बदलाव का पता लगाने की सुविधा है, जिससे अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर मशीन को नष्क्रिय किया जा सकता है, साथ ही इसमें अनाधिकृत उपकरणों को ब्लॉक करने के लियारसपरकि प्रमाणीकरण की सुविधा है।

- **EVM प्रबंधन प्रणाली (EMS 2.0):** यह EVM की गतिविधियों पर नगिरानी रखती है तथा उनका प्रबंधन, और परविहन एवं भंडारण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- **प्रशासनिक प्रोटोकॉल:**
  - **प्रथम-स्तरीय जाँच (FLC):** नरीक्षण, सफाई और कार्यक्षमता का परीक्षण BEL/ECIL के इंजीनियरों द्वारा किया जाता है।
    - नकली मतदान हेतु डमी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
  - **यादृच्छिक EVM आवंटन:** पूर्व निर्धारित आवंटन से बचने के लिये EVM को वधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों में यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है।
    - **निर्वाचन आयोग के** पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में **EMS 2.0 प्रणाली का** उपयोग करके यादृच्छिकीकरण किया जाता है।
  - **उम्मीदवार सेटिंग:** EVM में उम्मीदवार का वविरण (जैसे 'कमीशनगि' कहा जाता है) अंतिम उम्मीदवार सूची उपलब्ध होने के बाद ही लोड किया जाता है।
    - सटीकता सुनिश्चित करने के लिये मतदान दविस से पहले कई चरणों में **मॉक पोल आयोजित** किये जाते हैं।
  - **मतगणना दविस की प्रक्रिया:** EVM को **CCTV नगिरानी में मतगणना टेबल** तक लाया जाता है।
    - प्रत्येक वधानसभा क्षेत्र के **5 मतदान केंद्रों से VVPAT पर्चियों का** यादृच्छिक क्रॉस-सत्यापन किया जाता है।
  - **EVM भंडारण प्रोटोकॉल:** इन्हें CCTV और सशस्त्र पुलिस नगिरानी के तहत **एकल प्रवेश/निकास बटु** वाले स्ट्रांगरूम में संग्रहित किया जाता है।
    - **इसमें डबल-लॉक प्रणाली का** उपयोग किया जाता है जिसकी चाबियाँ अलग-अलग अधिकारियों के पास होती हैं तथा मतदान के बाद EVM को ले जाने के लिये **GPS-ट्रैक वाले वाहनों का उपयोग** किया जाता है।
  - **आवधिक नरीक्षण:** ज़िला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा भंडारण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिये EVM गोदामों का **मासिक नरीक्षण** करते हैं।

## मतपत्रों की तुलना में EVM-VVPAT के क्या लाभ हैं?

- **कोई बाहरी इनपुट नहीं:** EVM बैटरी या पावर पैक पर चलती हैं, जिससे ये दूरदराज़ के क्षेत्रों में भी कार्य कर सकती हैं जबकि कागज के मतपत्रों के लिये मैन्युअल गनिती हेतु प्रकाश एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- **अवैध मतों का उन्मूलन:** EVM पर मतदान एक बटन दबाकर किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि **कोई भी अवैध मत** (यह समस्या अक्सर गलत तरीके से चहिनति या फटे हुए मतपत्रों से जुड़ी होती है) न हो।
- **बूथ कंप्ररगि की रोकथाम:** EVM को **प्रतिभिनित केवल चार वोट की अनुमति देने के लिये प्रोग्राम किया गया है** जिससे **बूथ कंप्ररगि** की स्थिति में धोखाधड़ी वाले मतदान की संभावना बहुत कम हो जाती है।
  - एक बार कंट्रोल यूनिट पर 'कलोज़' बटन दबा दिया जाए तो **फरि कोई वोट नहीं डाला जा सकता है।**
- **सटीक गणना और मतदाता सत्यापन:** EVM से वोटों की तीव्र और तुरति गणना संभव होती है तथा मैन्युअल त्रुटियों एवं देरी की समस्या समाप्त हो जाती है।
  - **मतदाताओं को बीप के माध्यम से तत्काल फीडबैक** मिलता है और वे VVPAT पर्ची के माध्यम से अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं।
- **मतगणना में पारदर्शिता:** कंट्रोल यूनिट का 'टोटल' बटन उम्मीदवार-अनुसार परिणाम बताए बना डाले गए मतों की संख्या प्रदर्शित होती है जिससे मतों की गोपनीयता बनाए रखते हुए **पारदर्शिता सुनिश्चित** होती है।
- **पूर्व-प्रोग्रामिंग हेरफेर की रोकथाम:** EVM का मूलभूत प्रोग्राम (जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से तटस्थ होता है) चुनाव से बहुत पहले इसके निर्माण के दौरान **माइक्रोकंट्रोलर में सन्नहित कर दिया जाता है।**
  - **उम्मीदवारों की क्रम संख्या पहले से जानने में असमर्थता के कारण EVM को फर्जी उद्देश्यों हेतु पूर्व-प्रोग्राम करना असंभव** हो जाता है।



## नष्िकर्ष

VVPAT युक्त EVM से भारतीय नरिवाचन प्रणाली में क्रांति आने के साथ पारंपरिक मतपत्रों की तुलना में दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता मली है। संदेह के बावजूद, कडे तकनीकी सुरक्षा उपाय एवं प्रशासनिक प्रोटोकॉल इसकी अखंडता सुनश्चित करते हैं। इससे संबंधित चिंताएँ होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय एवं नरिवाचन आयोग द्वारा EVM को सुरक्षित माना गया है।

# भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

## वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- ⤷ **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- ⤷ **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- ⤷ **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तन
- ⤷ **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- ⤷ **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- ⤷ **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

## वर्ष 1996 का चुनाव सुधार

- ⤷ **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- ⤷ **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - ⊕ मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
  - ⊕ अन्य (स्वतंत्र)
- ⤷ **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
  - ⊕ भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

## वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- ⤷ **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- ⤷ **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- ⤷ **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

## वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- ⤷ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- ⤷ मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- ⤷ नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- ⤷ **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरुआत
- ⤷ **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- ⤷ **चुनाव बॉन्ड की शुरुआत (2017 बजट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
  - ⊕ SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- ⤷ इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- ⤷ दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

## महत्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
■ तारकुंडे समिति	1974	■ जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
■ दिनेश गोस्वामी समिति	1990	■ चुनाव सुधार
■ वोहरा समिति	1993	■ अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
■ इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	■ चुनावों का राज्य वित्त पोषण
■ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	■ शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में)
■ तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	■ निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।



Drishti IAS

2222222 222222 22222222 2222222:

**प्रश्न:** भारत में स्वतंत्र एवं नष्पिक्ष चुनाव सुनश्चिति करने में इलेक्ट्रॉनकि वोटगि मशीनों (EVM) की भूमकि पर चर्चा कीजयि । इसमें हेरफेर को रोकने के लयि मौजूद तकनीकी एवं प्रशासनकि सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालयि ।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

**प्रश्न.** नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिय है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटाता है ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

**उत्तर:** (d)

**??????:**

**प्रश्न.1** भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लयि भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है । सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-upholds-evm-and-vvpat-system-1>

